न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

पीठासीन अधिकारी, श्री बी.एल.मेहरड़ा, आर0ए0एस0
अपील संख्याः–158/2016(2016/00158)223/दूदू

1. बन्ना पुत्र हरनाथ
2. गिरधारी पुत्र छीतर
3. भंवर पुत्र घीसा
4. हरि पुत्र छीतर
5. हाथीराम पुत्र भारमल
6. दयाल पुत्र देवा
7. मंगल पुत्र रामा
8. नारू पुत्र रामा
9. घीसा पुत्र नाथू समस्त जाति गुर्जर
10. पोखर पुत्र पांचू
11. नाथू पुत्र पन्ना दोनो जाति बलाई
12. श्रवण पुत्र मांगू, जाति बागरिया
13. देवी लाल पुत्र रामेश्वर
14. चिंरजी पुत्र रामेश्वर जाति दोनो ब्राहम्ण समस्त ग्रामवासी सुर्री तहसील दूदू जिला जयपुर।

अपीलांट

बनाम

1. बुद्वीप्रकाश पुत्र नारायण जाति जाट, निवासी ग्राम सुर्री तहसील दूदू, जिला जयपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दूदू जिला जयपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0काश्तकारी अधिनियम 1955 के निर्णय एंव डिक्री दिनांक 25.01.1996, राजस्व वाद संख्या 342/1991 विरूद्ध सहायक कलक्टर,दूदू।

उपस्थितः–

1. श्री शौकिन्दलाल गुर्जर एड़वोकेट अपीलांट की ओर से।
2. श्री सुनील कड़वासरा एड़वोकेट रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से।
3. श्री रामजी लाल शर्मा एड़वोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से।
4. राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः–22.03.2019

01. अपीलांट ने यह अपील सहायक कलक्टर,दूदू के निर्णय एंव डिक्री दिनांक 25.01.1996, राजस्व वाद संख्या 342/1991 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

02. प्रकरण में संक्षिप्त एवम् सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने प्रतिवादी/रेस्पो. संख्या 2 व 3 के विरूद्व एक राजस्व वाद वास्ते घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय सहायक कलेक्टर दूदू के समक्ष पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 247 रकबा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 248 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम सुर्री, तहसील दूदू जिला जयपुर मे स्थित है। उक्त वादग्रस्त आराजी के वादी खातेदार काबिज काश्तकार है। वादी उक्त आराजी की पेनेल्टी राज. सरकार को अदा करता चला आ रहा है तथा उक्त आराजी के चारो तरफ वादी की खातेदारी कास्तकारी की आराजीयात है, जो राजस्व कर्मचारियों द्वारा उक्त सिवायचक–गैर मु0 तालाबी दर्ज कर दी। जबकि उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

आराजी के खातेदार अधिकार वादी मे निहित हो गये। वादग्रस्त आराजी का वादी को खातेदार घोषित कर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किये जाने का आदेश पारित किया गया। दिनांक 25–01–1996 को गैर मु0 तालाबी आराजी की विधि विरूद्व निर्णय एंव डिक्री पारित कर दी। ग्रामवासी/अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर दूदू के आदेश दिनांक 25.01.1996 से असंतुष्ट होकर न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस को नोटिस जारी किये गये, रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 3 की ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित हुए, तत्पश्चात अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 का जवाब प्राप्त होने के पश्चात प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की अनुपस्थिति दर्शाते हुए अपीलांट की साक्ष्य लेकर एकतरफा बहस सुनकर निर्णय पारित करने मे कानूनी भूल की हैं क्योकि वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकार्ड मे गैर मुमकिन तालाबी दर्ज है। जिसकी नियमानुसार धारा 16 से प्रतिबंधित होने से खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते हैं इसके उपरांत भी खातेदारी प्रदान कर कानूनी भूल की है तथा आदेश कानून, न्याय एवं नियम के विपरीत होने से निरस्तनीय है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये निर्णय दिनांक 02–08–2004 के अनुसार खातेदारी नही दी जा सकती थी। यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने द्वारा पारित निर्णय मे आदेश 41 नियम 31 जा0दी0 के कथनो की भी पालना नही की गई है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्तनीय है एवं धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण ग्रामवासी उक्त प्रकरण मे पक्षकार नही थे इस कारण अपीलांटगण को उक्त वाद की जानकारी नही थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा दिनांक 25–02–2016 को वादग्रस्त आराजी को खुर्द बुर्द करने लगा तो ग्रामवासीयो द्वारा मना किया गया कि यह तालाबी पेटे की सरकारी भूमि है पर वह नही माना और कहा कि न्यायालय के निर्णय से मुझे खातेदारी अधिकार मिल गये है तब ग्रामवासीयो द्वारा हल्का पटवारी से सम्पर्क कर सक्षम न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 25–01–1996 की जानकारी दिनांक 30–03–2016 को पता चलने पर उसी दिन सक्षम न्यायालय मे प्रमाणित प्रतिलिपी लेने हेतु आवेदन कर दिया गया। जिस पर दिनांक 04–04–2016 को नकले प्राप्त होने पर ग्रामवासीयो द्वारा प्रकरण मे फीस व खर्चे की व्यवस्था कर दिनांक 25–04–2016 को अजमेर आकर अभिभाषक से सम्पर्क कर अविलम्ब अपील तैयार कर दिनांक 26–04–2016 को न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दी गई। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र न्यायहित मे स्वीकार फरमाया जाकर अपील का निर्णय गुणावगुण पर करने की कृपा करे। वादग्रसत आराजी खसरा नम्बर 247 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 248 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा कुल रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा वाकै ग्राम सुर्री तहसील दूदू बाबत् अधीनस्थ न्यायालय ने राज.सरकार एवं जनहित के विरूद्ध बिना ग्राम वासियों को सूचना एवं सुनवाई किये जाने से निर्णय की जानकारी नही हुई हैं एवं ग्रामवासी/अपीलांट विवादित आराजी के पीड़ित पक्षकार है। इसलिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई। प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जावे। वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के विरूद्ध इस आधार पर जो निर्णय व डिक्री पारित करवाई हैं वो विधि सम्मत नही हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नही है। अतः न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

कलैक्टर, दूदू द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 25.01.1996, राजस्व वाद संख्या 342/1991 को निरस्त किया जावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने दौराने जवाब अपील में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री विधि सम्मत हैं जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यक्ता नही हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी को अधीनस्थ न्यायालय ने कानून के प्रावधानों की पालना करते हुए तनकी कायम कर एवं पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई कर अवसर प्रदान कर नियमानुसार निर्णय पारित किया है इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावें।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 ने दौराने बहस अपील में बताया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए तथा उनके द्वारा दिये गये जवाब के विपरीत जाकर गैर मुमकिन तालाबी भूमि की राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 (2) की होने के उपरांत भी निर्णय पारित करने मे कानूनी भूल की है अतः निर्णय एंव डिक्री निरस्तनीय है।

7. सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. का निस्तारण करना उचित समझते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.01.1996 की जानकारी नहीं थी विवादित आराजी तालाबी भूमि होने के कारण प्रार्थीगण का हित निहित होने से उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है।

8. तत्पश्चात प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते हैं। अधीनस्थ न्यायालय जो आदेश पारित किये गये वो एक तरफा आदेश पारित किये गये हैं इसलिए संभवतया इसकी जानकारी अपीलांटस को नहीं हुई हों। अपील में देरी होने बाबत् अपीलांट ने प्रार्थना पत्र के साथ अपना शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया हैं तथा रेस्पोडेन्टस की ओर से कोई जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया एवं ना ही काउन्टर शपथ पत्र पेश किये हैं। न्यायहित में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती हैं।

9. हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान पर मनन किया। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने फर्द दस्तावेज पेश कर कथन किया कि विवादित आराजी बाबत् एक अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई जो दिनांक 19.07.2001 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दी गई। अपीलांटस ने उक्त अपील को रेस्टोर करने के लिए कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया तथा अलग से अपील प्रस्तुत कर दी जो रेस ज्येडिकेटा के तहत् मानी जावें। अभिभाषक अपीलांटस ने जवाब में कथन किया कि उक्त आदेश में वर्तमान पक्षकार नहीं थे ऐसी सूरत में उक्त आदेश रेस ज्यूडिकेटा के सिद्धान्त से प्रभावी नहीं होता है। हमारी राय में विवादित आराजी बाबत् एक अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई जो दिनांक 19.07.2001 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दी गई थी में अपीलार्थीगण/वादीगण पक्षकार नहीं थे इसलिए प्रस्तुत प्रकरण पर रेस ज्यूडिकेटा का सिद्धान्त लागू नहीं होता है। अपीलांट द्वारा अपील के साथ जमाबंदी सम्तव 2050–2053 की प्रति सलंग्न की है। उक्त जमाबंदी अनुसार खसरा नम्बर 247 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 248 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा वकौ ग्राम सुर्री तहसील दूदू की किस्म गैरमुमकिन तालाब दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को यह बताते हुए खारिज किया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 247 व 248 सिवायचक (गैरमुमकिल तालाब)है तथा दूसरी ओर वाद पत्र को यह कहते हुए स्वीकार किया गया है कि सेटलमेन्ट की गलती से गैरमुमकिन तालाबी दर्ज हो गई जो विधि सम्मत नही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अनुसार यदि तालाब व नदी पेटे की भूमि का काश्त हेतु आकस्मिक प्रयोग किया जाता है तो ऐसी भूमि बाबत् खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। विवादित भूमि खसरा नम्बर 247 व 248 वाकै ग्राम सुर्री राजस्व रेकार्ड में प्रारम्भ से ही तालाब की भूमि दर्ज रही है। यदि किसी वर्ष में अपीलांट को काश्तकार या गैर मौरूसी दर्ज कर भी दिया गया है तो उससे कोई अन्तर नहीं पड़ता है।

अधिनियम की धारा 16 (2) के अन्तर्गत तालाब व बांध की भूमि पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.01.1996 निरस्त किये जाने योग्य पाये जाते है।

10. अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, दूदू का निर्णय व डिक्री दिनांक 25.01.1996 निरस्त किया जाता हैं। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

22/3/19

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकरी,
अजमेर

11. आदेश आज दिनाक 22.03.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

22/3/19

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकरी,
अजमेर

Judil/Civil
Part IV- 4

डिगरी सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "G"- 9)

अज अदालत **राजस्व अपील प्राधिकारी, मुकाम अजमेर।**

ब इजलाश :– **श्री बी.एल.मेहरड़ा, आर.ए.एस.**

बन्ना पुत्र हरनाथ जाति बलाई निवासी सुर्री तहसील दूदू जिला जयपुर व अन्य ।

बनाम

बुद्धी प्रकाश पुत्र नारायण जाति जाट निवासी ग्राम सुर्री तहसील दूदू जिला जयपुर व अन्य।

अपील संख्याः–158 सन् 2016 (2016/00158) ब नाराजगी डिगरी अदालत सहायक कलक्टर, दूदू, मुबर्खे 25 माह 01 सन् 1996.

दावा बाबत्: धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 .

यह अपील ब तारीख 22 माह 03 सन् 2019 रूबरू **राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर** ब हाजिरी श्री शौकिन्द लाल गुर्जर एड़वोकेट मिनजानिब अपीलांट, श्री सुनिल कड़वासरा, रामजीलाल शर्मा एड़वोकेट, समायत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ है कि :–अपील अपीलांटस स्वीकार की जाती है तथा विद्धान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, दूदू का निर्णय व डिक्री दिनांक 25.01.1996 निरस्त किया जाता है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जैल तादादी मुबलिक.....–.....)रूपये..–..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .....–..... अदा करें।

बस्बत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 22 माह 03 सन् 2019. को जारी किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर।

मोहर

खर्चा अपील

अपीलांट	रूपये	पैसे	रेस्पोडेन्ट	रूपये	पैसे
1.स्टाम्प अपील		–	1.स्टाम्प वकालतनामा		–
2.स्टाम्प वकालतनामा		–	2. स्टाम्प अर्जी		–
3. इजराय हुक्नामा		–	3. इजराय हक्नामा		–
4. वकील फीस बाबत्		–	4.मेहनताना वकील		–
मीजान		–	मीजान		–

नोटः–इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे निगरानी के जरिये दिलाया गया हो या नही, दर्ज करना चाहियें।